

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

अप्रार्थी

शंकरलाल पुत्र जसाराम जाति बनाम
जाट निवासी ग्राम सुराणा तहसील
व जिला नागौर

तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा

राजस्थान अधिनियम
136/2019

संख्या

03

सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख म जारी हुए
06.01.2020	वकील प्रार्थी ने धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, मुकदमा संख्या 136/2019 सरकार बनाम शंकरलाल, अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 में पारित आदेश में प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनाये गये 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के आदेश की कियान्विति आगामी पेशी दिनांक 27.01.2020 तक स्थगित की जाती है। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
27/1/20	वकील प्रार्थी उपरोक्त अप्रार्थी का नोटिस बाद तामीन लोटकर प्राप्त हुआ है, जो शांति है अप्रार्थी की मोर से राक्षसरोवार की कुदनासिंह माचीगां उपरोक्त पत्रावली मूल मकीन के साथ दिनांक 10/02/2020 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
10/2/2020	व कुलाय उपरोक्त पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 17/2/20 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
17/2/2020	वकुलाय उपस्थित। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	

